न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – सुश्री अंशुल आमेरिया (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 54/2019 राजस्व प्रार्थनापत्र

अनवान

1. प्रधानाचार्य जरिये राउमावि ओज्याडा, हमीरगढ जिला–भीलवाडा(राज.)

.... **प्रार्थी**

बनाम

1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा

..... **अप्रार्थी**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :::– **श्री सुरेशचन्द्र अहीर वकील प्रार्थी**
विपक्षी की ओर से पेरोकार सरकार

–:: निर्णय ::–

दिनांक 01–04–2021

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थनापत्र विरूद्ध विपक्षी के इस आशय का प्रस्तुत किया कि वाके ग्राम ओज्याडा पटवार हल्का ओज्याडा, भू–अभिलेख हमीरगढ तहसील हमीरगढ में स्थित आराजी संख्या 1244 रकबा 7 बिघा भूमि जो दिनांक 13.06.1989 को आदेश कमांक एफ 12–13(अ)(32) आर.ए.–89 को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय ओज्याडा को मैदान आवंटित हुई है।

राउप्रावि ओज्याडा माध्यमिक विद्यालय मे कम्मोन्नत होने से भवन भूमि की आवश्यकता होने से वादी विद्यालय द्वारा उपखण्ड अधिकरी महोदय के यहां प्रार्थना–पत्र पेश कर भवन निर्माण प्रयोजन हेतु निवेदन किया गया जिस पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा श्रीमान जिला कलक्टर महोदय से अनुमति चाही जो श्रीमान जिला कलेक्टर साहब द्वारा पूर्व आदेश दिनांक 13.06.1989 से राउप्रावि ओज्याडा संख्या 2378/1244 रकबा 7 बीघा भूमि रामावि ओज्याडा के विद्यालय भवन हेतु परिवर्तन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई आदेश कमांक एफ–12–13/आ भीलवाडा (07)/आर/2015/दिनांक 03.05.2015 ।

उक्त भूमि पर भवन हेतु आवंटित बजट के अनुसार भवन बनाने के लिए भवन का नक्शा जो राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति हुआ स्वीकृत नक्शें के अनुसार विद्यालय बनाने हेतु भूमि का सीमाज्ञान विद्यालय एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा करवाया गया जो वर्तमान में विद्यालय रिकॉर्ड पूर्व में तरमीम बताई गई जिससे पुराने नक्शे में पेटा काश्त की जमीन आ गई एवं आगे पूर्व की तरफ आबादी की भूमि के बीच व विद्यालय के बीच में जगह छूट गई जिससे भवन निर्माण पूर्व में प्रस्तावित नक्शे के अनुसार नहीं होने से विद्यालय का नक्श पेश करने में दक्षिण की तरफ खिसक जाने से नक्शे अनुसार विद्यालय भवन के निर्माण की स्वीकृति के अनुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग ने आपत्ति दर्ज कर बताया कि पेटा काश्त में विद्यालय का [illegible]।

उक्त सीमा ज्ञान के बाद गांव में मौतबि[illegible] विद्यालय प्रशासन द्वारा मिटिंग की गई जिसमें भवन निर्माण की आपत्ति पर [illegible] ओज्याडा द्वारा श्रीमान एसडीओ साहब हमीरगझ में प्रार्थना–पत्र पेश कर [illegible] का निर्माण उसमें [illegible] एवं रिकॉर्ड के अनुसार कराने के लिये उपस्थित हुआ श्रीमान द्वारा आदेश दिनांक 14.06.2016 [illegible] गया कि पूर्व में निर्मित स्कूल से लगते हुए नई बिल्डिंग का निर्माण [illegible]राया जाए एवं राजस्व [illegible]नुसार पाल से लगती हुई भूमि खेल मैदान हेतु रखी जावें तहसीलदार एवं अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग को आदेश दिया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2021.12.08 11:54:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी।
हमीरगढ

नई बिल्डिंग पूर्व में निर्मित स्कूल से लगते इस नक्शे अनुसार बिल्डिंग बलाई जा चुकी हैं लेकिन जो तरमीम गलत हो गई थी उसे आज तक दुरस्त नहीं किया गया है जिससे विद्यालय के लिए आवंटित बंजट पडा है जो तक तक नहीं लगाया जा सकता हैं जब तक तह तरमीम दुरस्त नहीं की जाती है।

यह कि तरमीम दुरस्त नहीं होने से विद्यालय भवन जो लाखों रूपये का बना हुआ है आधुनिक भवन को चारदीवारी नहीं होने से आवारा पशुओं का आना जाना एवं विद्यालय में चोरी का खतरा बना रहता है। आज वर्तमान में विद्यालय वहं चल रहा हैं जिससें ट्यबवेल भी चोरी हो गई हैं तथा कांच फोड दिये गये हैं चारदीवारी नहीं होने से छोटे–छोटे बच्चों की जान को आवारा पशुओं एवं जीव–जन्तुओं से खतरा बना रहता है।

अतः रिकॉर्डेड एवं पूर्व में प्रस्तावित नक्शे की भूमि अनुसार ही तरमीम कराई जाकर जो गलत तरमीम हो गई हैं उसे दुरस्त करवाया जाकर पूर्व में विद्यालय के भवन से लेकर तालब की पाल तक की भूमि को नक्शे में विद्यालय के भवन से लेकर तालाब की पाल तक की भूमि को नक्शें में दुरस्त कराया जावें जिससे आगामी बजट जो तरमीम दुरस्ती के इन्तजार में पडा है उसके अनुसार आधनिक विद्यालय का निर्माण प्रस्तावित नक्शे के अनुसार कराया जा सकें।

2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांक 27.08.2019 को दर्ज रजिस्टर किया गया विपक्षी की जरिये सम्मन तलबी की गई। विपक्षी राज्य पक्ष तहसीलदार हमीरगढ ने प्रार्थी के प्रार्थना के प्रा.पत्र को स्वीकार किये जाने मे किसी प्रकार की कोई आपत्ती होना जाहीर नही करते हुए अपनी और से ईकबालिया जवाब प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया । प्रार्थनापत्र के समर्थन में शपथपत्र तथा साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत दस्तावेजी पर अध्ययन व मनन पश्चात प्रार्थीगण का प्रा.पत्र न्याय हित में स्वीकार योग्य है प्रतीत होता है।

–:: आदेश::–

अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट विरूद्ध विपक्षी सहमती से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को निर्देशित किया जाता है कि वाके ग्राम ओज्याडा पटवार क्षैत्र ओज्याडा तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा की वर्तमान जमाबंदी आराजी संख्या 2378/1244 रकबा 7–00 बीघा को प्रमाणितशुदा साबिक राजस्व नक्शा दिनांकित 13.06.1989 अनुसार वर्तमान नक्शे में तरमीम/संशोधित किया जावें।

यह आदेश आज दिनांक 01.04.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंशुल आमेरिया)
उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ
जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ

क्रमांक/प्रा.पत्र. एलआर /प्र.स. 54/2019 **दिनांक 01.04.2021**

प्रतिलिपि मय प्रस्तावित नक्शा ट्रेस–

तहसीलदार हमीरगढ को भेजकर लेख है कि माफिक आदेश के राजस्व अभिलेखों में पालना की जाकर मय पालना रिपोर्ट के नकल जमाबंदी सहित 30 दिन की समयावधि में प्रस्तुत करने की सुनिश्चिता करें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2021.12.08 11:54:20 IST
Reason: SelfAttested

(अंशुल आमेरिया)
उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ
जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ